

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय), समस्तीपुर

बी0एड0 सत्र-2017-19 में नामांकन के लिए TET उत्तीर्ण नियोजित अभ्यर्थियों का सीट से दोगुनी चतुर्थ औपबंधिक मेधा सूची

क्र.	आ0 क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आरक्षण की कोटि	महिला / पुरुष	दिव्यांग (Yes /No)	जन्म तिथि	नियोजित/ अनियोजित	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8)	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8) में प्राप्तांक	BSITET (10 & 10+2) / TET (6-8) में प्राप्तांक का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	213	मो0 अफजल	मो0 हाशिम	UR	M	N	07.08.1986	Niyojit	TET	91	60.66	UR
2	441	रोबिन कुमार वर्मा	विनोद कुमार वर्मा	UR	M	N	04.05.1988	Niyojit	TET	91	60.66	UR
3	117	श्वेता	मुकेश कुमार	UR	F	N	28.02.1990	Niyojit	TET	91	60.66	UR
4	435	मो0 अजमल अंसारी	मो0 फजले हक अंसारी	EBC	M	N	15.03.1990	Niyojit	U/B TET	83	60.58	UR
1	14	जटा शंकर यादव	बाबुजी प्रसाद यादव	BC	M	N	15.12.1986	Niyojit	TET	90	60.00	BC
2	149	प्रतिभा कुमारी	राजेन्द्र यादव	BC	F	N	15.02.1988	Niyojit	TET	90	60.00	BC
1	835	जय प्रकाश शर्मा	राधे कृष्णा मिस्त्री	EBC	M	N	06.02.1973	Niyojit	TET	90	60.00	EBC
2	111	अविनाश कुमार	नागेंद्र कुमार	EBC	M	N	05.12.1980	Niyojit	TET	90	60.00	EBC
1	524	हरि शंकर सदा	प्रेम चन्द सदा	SC	M	N	05.02.1971	Niyojit	TET	83	55.33	SC
2	70	संतोष कुमार दास	रामखेलावन दास	SC	M	N	05.02.1984	Niyojit	TET	83	55.33	SC

सदस्य सचिव
अ0शि0महा0, समस्तीपुर

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

सूचना

चतुर्थ औपबधिक मेधा सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक- 24.06.2017 (शनिवार) को 10:00 पूर्वाह्न महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (दो फोलडर फाईल में) एवं नीचे दिये गये सभी प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग करा लेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आपके नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा और प्रतीक्षक सूची के अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा।

1. मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर का CLC/DLC।
4. BSITET/TET उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र।
5. नियोजन पत्र।
6. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
7. नियोजित कोटि के अभ्यर्थी विद्यालय में कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र जो प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत हो और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
8. हाल का खीचा हुआ दो रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज का।
9. 100.00 रुपये का स्टॉप पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र की उनके द्वारा दिये गये सभी सूचना एवं प्रमाण-पत्र सही हैं। भविष्य में कोई त्रुटि या गलत जानकारी पाये जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जायेगी।
10. नियोजित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड (दिये गये प्रारूप के अनुसार) देना होगा कि प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 5 वर्षों का शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन आदि सरकार के खजाने में जमा करना होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।
11. सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) के द्वारा विधिवत् रूप से सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी मूल प्रति।
(नोट :- निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-130, दिनांक-13.04.2017 एवं पत्रांक-658, दिनांक-09.11.2015 के आलोक में सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) के द्वारा विधिवत् रूप से सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी मूल प्रति नहीं लाने पर सवैतनिक अवकाश का दावा मान्य नहीं होगा।)
12. नामांकन हेतु प्रथम वर्ष के लिए 12,500.00 (बारह हजार पाँच सौ) रुपये एवं अनु0जाति/ज0जाति/नि:शक्त के लिए यह राशि 4900.00 (चार हजार नौ सौ) रुपये नामांकन के लिए निर्धारित है। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।
13. किसी भी तरह के दावा का निपटारा नामांकन समिति द्वारा किया जायेगा जो अंतिम होगा।

सदस्य सचिव-सह-वरीय व्याख्याता
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
समस्तीपुर।